

शुआर्यालय नगर परिषद, बक्सर

Ph. No. 06183-223109


Email: citymanagernpbuxar@gmail.com

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बक्सर।

सेवा में।

उप लेखा नियंत्रक -सह- निदेशक
स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय
वित्त विभाग, (अंकेक्षण) बिहार, पटना।



पत्रांक:.....
दिनांक:.....

विषय: अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- DLF-1/15-16 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-DLF-1/15-16 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ साक्ष्य सहीत संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

श्री. अ. अ. अ.

अनुलग्नक:- यथोक्त।

11/9/18

विश्वासभाजन,

हृण-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बक्सर।

ज्ञापांक-2242 दिनांक 11-9-18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

21/9
490
11/9/18



कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बक्सर।

कार्यालय नगर परिषद, बक्सर

नगर परिषद, बक्सर का वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या DLF-1/2015-16 का कड़िकावार अनुपालन प्रतिवेदन।

अनुपालन प्रतिवेदन:-

कड़ीका	आपति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
2	3	4	5
कड़िका-3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	अनुपालन किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
कड़िका-4	पूर्ववर्ती लेखा परिक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखा परिक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन किया गया है अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः आपति निरस्त किया जाय।	
कड़िका -5	बजट (आय-व्यय) प्राक्कलन	अंकेक्षण में सुझाव के आलोक में बजट प्राक्कलन पारित कराकर ससमय भेजा जा रहा है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साध्य संलग्न
कड़िका-7	रोकड़ शेष	अंकेक्षण में सुझाव के आलोक में बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जा रहा है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साध्य संलग्न
कड़िका-8	सरकारी अनुदान	अनुदान एवं विनियोग पंजी विवरणी Double Entry Accounting System के माध्यम से वर्ष 2013-14 से कराया जा रहा है। अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः आपति निरस्त किया जाय।	
कड़िका-9	अनुपयोजित सरकारी अनुदान रु0 2492348.00	विभागीय निदेशानुसार उपलब्ध कराये गये शीर्ष में जमा कर दिया गया है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साध्य संलग्न 11/5

कांड़िका-10	संघार भिनारो (मोबाईल/इंटरनेट) के पंजीयन शुल्क वसूली योग्य रु0-1600080	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया था जिसके कारण वर्ष 2013-14 की राशि वसूल नहीं किया गया।	
कांड़िका-11(क)	मकान कर की कम/नहीं जमा राशि रु0-88633.74 वसूली योग्य।	क्रमांक 01 पर अंकित रु0-16864 की वसूली श्री नरसिंह चौबे से विविध रसीद सं0-4205 दिनांक-10.09.2018 द्वारा किया गया है एवं दिनांक-13.10.2014 को रोकड़पाल रोकड़ बही में रु0-105000 जमा किया गया है। जिसने क्रमांक 02 से 04 पर अंकित राशि क्रमशः 18907.84, 10023.02 एवं 34207.88 सम्मिलित है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	स्थाप्य लेखन
कांड़िका-11(ख)	मकान कर की राशि रु0-3850 जमा नहीं।	विविध रसीद सं0-4202 दिनांक-10.09.2018 से श्री चौबे से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया। अतः आपति निरस्त किया जाय।	स्थाप्य लेखन
कांड़िका-11(ग)	मकान कर की राशि रु0-3346 जमा नहीं।	विविध रसीद सं0-4201 दिनांक-10.09.2018 से श्री चंद्रदेव पासवान से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया। अतः आपति निरस्त किया जाय।	स्थाप्य लेखन
कांड़िका-11(घ)	मकान कर की राशि रु0-1279 जमा नहीं।	विविध रसीद सं0-4203 दिनांक-10.09.2018 से श्री विश्वनाथ पाठक से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया। अतः आपति निरस्त किया जाय।	स्थाप्य लेखन
कांड़िका-11(ङ)	मकान कर की राशि रु0-156 जमा नहीं।	विविध रसीद सं0-2167 दिनांक-26.09.2014 से श्री अनुपम से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया। अतः आपति निरस्त किया जाय।	स्थाप्य लेखन 21/5

			परन्तु राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया के आलोक में श्री गौरीशंकर राम के स्थगित वेतन माह दिसम्बर 2017 के विपत्र से विपत्र सहायक द्वारा कार्यालय झापांक-2933 दिनांक-11.09.2018 के आलोक में कटौती किया गया है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	
कांड़िका-15	मुद्रांक शुल्क की राशि रु0-61298 जमा नहीं।		मुद्रांक शुल्क की राशि संबंधित कोष में चेक सं0-000134 दिनांक- 10.09.2018 द्वारा जमा कर दिया गया है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	
कांड़िका-16	बकाया गृह कर रु0-8530904.93		प्रचार प्रसार एवं कैम्प के माध्यम से वसूली हेतु कार्टवाई की जा रही है। वसूली भी हो रही है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संख्या
कांड़िका-17	शिक्षा शेष एवं स्वास्थ्य शेष		शिक्षा शेष की राशि संबंधित कोष में चेक सं0-000133 दिनांक-10.09.2018 एवं स्वास्थ्य शेष की राशि संबंधित कोष में चेक सं0-000132 दिनांक- 10.09.2018 द्वारा जमा कर दिया गया है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संख्या
कांड़िका-18 (क एवं ख)	डीजल मद व्यय में अधिक भुगतान रु0-1660.05		डीजल व्यय मद में अधिक भुगतान की गई राशि बक्सर पेट्रोल स्टेशन के विपत्र से कटौती कर लिया गया है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संख्या
कांड़िका-19	योजना माद में अधिक भुगतान रु0-1329.00 वसूली योग्य।		विविध रसीद सं0-4204 दिनांक-10.09.2018 से श्री संतोष सिंह से वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संख्या
कांड़िका-20	वैट की राशि रु0-171381.00 जमा नहीं।		वैट की राशि दिनांक-16.12.2014 को चेक सं.-513269 से संबंधित कोष में जमा कर दिया गया है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संख्या 11/5

11/5

कड़िका-21	सेवा पुस्त में वेतन वृद्धि की तिथि की जाँच कर अधिक भुगतान राशि की वसूली करने के संबंध में।	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक का योगदान तिथि 11.06.2005 है तथा वेतन निर्धारण के समय प्रथम वेतन वृद्धि दिनांक- 01.07.2007 को है, जिसके अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	(नाम) श्रीमान
कड़िका-22	टोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन मद में व्यय रु0-4873999 आपति अन्तर	<p>(i) विभागीय निदेश के आलोक में विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटणा को कार्यालय पत्रांक-142 दिनांक- 28.02.2013 से पत्र निर्गत किया गया था।</p> <p>(ii) निविदा में कुल 06 प्रतिभागी भाग लिये थे।</p> <p>(iii) निविदा निकालने हेतु समय-सीमा के सुझाव का अनुपालन भविष्य में किया जायेगा।</p> <p>(iv) Comperative Study में जिस निविदा का चयन हुआ उसे सही पाया गया।</p> <p>(v) निविदा में कुल 06 निविदाकार ने भाग लिया उसमें से केवल 02 निविदाकार का पता एक जगह का है बाकी 04 निविदाकार का पता भिन्न है।</p> <p>(vi) अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में आगे से अनुपालन किया जा रहा है।</p> <p>(vii) नाला मैजिस्ट्रेट इंजन से चलता था।</p> <p>(viii) नगर परिषद बोर्ड के निर्णय एवं तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुये समान का क्रय किया गया।</p> <p>(ix) तत्कालीन कर्मीय अभियंता द्वारा जाँच कराया गया।</p> <p>अतः आपति निरस्त किया जाय।</p>	श्रीमान श्रीमान
कड़िका-23(क)	रु0-155000 अपारित अभिभव की राशि आपतिनितर्गत।	विपत्र पारित कराकर अनुपालन किया जा चुका है। अतः आपति निरस्त किया जाय।	श्रीमान श्रीमान

कंड़िका-23(ख)	रु0-1274312.00 अपारित अभिभव की राशि आपत्तिनर्गत।	विपत्र पारित कराकर अनुपालन किया जा चुका है। अतः आपत्ति निरस्त किया गया।	स्थापन संस्थान
कंड़िका-24	रु0-16250.00 आपत्तिनर्गत।	विविध रसीद सं0-1897 से 1900 तक दोनो प्रति उपलब्ध है तथा समान राशि अंकित है। जिससे राशि की वसूली कम या अधिक करने की संभावना नहीं बनती है। अतः आपत्ति निरस्त किया गया।	स्थापन संस्थान
कंड़िका-25	कर संग्राहक द्वारा वसूली राशि रु0 424315.95 विलम्ब से जमा अस्थायी गबन।	श्री नरसिंह चौबे, सहायक कर दायोगा को नोटीश दिया गया है। कार्टवाई की जा रही है।	स्थापन संस्थान
कंड़िका-26	बकाया अग्रिम रु0 234100.00	संबंधित कर्मियों को नोटीश किया गया है। कार्टवाई की जा रही है।	स्थापन संस्थान
कंड़िका-28	समान्य अभियुक्तिया	सुझाव के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है।	

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर।

1115